

Application for Settlement under One Time Settlement
Scheme for the Borrowers of DCCB's -2022

एकमुश्त ऋण निपटान योजना के तहत आवेदन

सेवा में,

दिनांक /

प्रबन्धक,

शाखा,
दी महेन्द्रगढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि०,

विषय : एकमुश्त ऋण निपटान योजना के तहत ऋण चुकाने बारे।

महोदय,

मैंने आपकी शाखा से दिनांक _____ को _____ रुपये का ऋण _____ का काम करने हेतु लिया था। इस ऋण की चुकौती तय समय पर नहीं हुई जिसके चलते मेरा खाता NPA में परिवर्तित हो गया। अब मैं बैंक की एकमुश्त ऋण निपटान योजना का लाभ उठाना चाहता हूँ तथा आवेदन पत्र के साथ इस योजना के नियम व शर्तों को स्वीकार करता हूँ।

आपका,

नाम _____

हस्ताक्षर _____

खाता नं० _____

पता _____

मो नं० _____

नियम व शर्तें :-

1. आवेदक का ऋण खाता 31.03.2021 को या इससे पहले NPA की श्रेणी में होना चाहिए।
2. आवेदन पत्र के साथ ही दिनांक 31.12.2021 को खाते में खड़े बकाया मूल की 10% राशि जमा करानी होगी।
3. आवेदन की तिथि से 6 माह के भीतर शेष राशि का भुगतान एकमुश्त या 3 किश्तों में करना होगा।
4. ऋण खाते के NPA बनने तक स्वीकृति पत्र के अनुसार ब्याज लिया जायेगा तथा उसके बाद से भुगतान की तारीख तक शेष बकाया मूल पर 6% सामान्य वार्षिक दर से ब्याज वसूला जायेगा।
5. यदि आवेदन करने की तारीख से 1 माह के भीतर ऋण निपटान हो जाता है तो इस अवधि का ब्याज नहीं लगाया जायेगा।
6. यदि आवेदन करने की तारीख से 6 माह तक ऋण निपटान नहीं होता है तो ऋणी सदस्य इस योजना के तहत मिलने वाले लाभ से वंचित हो जायेगा तथा इस दौरान जो भी राशि जमा करायी गयी है उसे सामान्य अनुक्रम (Normal Course) में हुई वसूली ही समझा जायेगा।

उपरोक्त नियम व शर्तें रजिस्ट्रार, सहकारी समितियाँ, हरियाणा के पत्र क्रमांक Memo No.

e-274348/03/24/21/C 5/2894-960 दिनांक 4 अप्रैल 2022 के अधीन हैं तथा इस पत्र के तहत इस योजना में जो भी शर्तें दी गई हैं, उनकी पालना अनिवार्य है।

आवेदक का नाम _____

हस्ताक्षर _____